विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना प्रभाग)
"विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन"
(सामान्य आह्वान)

डीएसटी भारत सरकार की "विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन" (पर्स) योजना के तहत सहायता पर विचार करने के लिए प्रस्ताव ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास आधार को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

सहायता का प्रकार: इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना और देश में अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र के पोषण और विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास आधार को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना है। यह योजना अनुसंधान सुविधाओं (योजना में शिक्षण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी), अनुसंधान मानव-शक्ति लागत, अनुसंधान उपभोज्य सामग्रियों को प्राप्त करने, यात्रा के लिए निधि प्राप्त करने, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन, आकस्मिकताओं और सुविधाओं के रखरखाव के लिए सहायता प्रदान करेगी। विश्वविद्यालयों को स्पष्ट रूप से व्यक्त उद्देश्यों के साथ, एक निपुण टीम के अंतर-अनुशासनात्मक विषयगत प्रयास में उत्कृष्टता के अपने क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे कुछ प्रक्रिया के माध्यम से उत्कृष्टता के क्षेत्रों की पहचान करें और निष्पादक और गैर-निष्पादक विभागों या समूहों को समान आवंटन के बजाय उन निष्पादन को पर्स सहायता का महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करें। विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय में अधिकतम स्तर पर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभागों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक समेकित प्रस्ताव भेजें। यह योजना स्थायी प्रकृति के भवन/निर्माण और कर्मचारियों की भर्ती के लिए किसी प्रावधान की अनुमति नहीं देती है। पर्स के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों का कार्यकाल परियोजना की अवधि के साथ समाप्त होगा। कर्मचारी केवल तकनीकी और वैज्ञानिक होगी। जीवन विज्ञान क्षेत्र से संबंधित अनुप्रयुक्त/ट्रांसलेशनल परियोजनाओं को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की इसी स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत व्यक्ति विनिर्दिष्ट अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुसंधान के तालमेल और फोकस को अधिमानतः राष्ट्रीय मिशनों / प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जा सकता है।

अवधि: प्रत्येक पर्स परियोजना के लिए सहायता की अवधि 4 वर्ष होगी।

अर्हता: यह योजना विशेष रूप से विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पात्र विश्वविद्यालय को मंजूरी आदेश की तारीख से पिछले 10 वर्षों में डीएसटी के सैफ/साथी या पर्स कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी एजेंसी-आधारित विश्वविद्यालयों को पर्स सहायता के दायरे से बाहर रखा गया है। सभी गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थानों (निजी विश्वविद्यालयों) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सहायता 75:25 के अनुपात में साझा की जाएगी, अर्थात डीएसटी का हिस्सा 75% होगा और गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थान के प्रबंधन को परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 25% वहन करने की आवश्यकता होगी। सभी यूजीसी मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों के लिए डीएसटी का हिस्सा परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 100% होगा। विशेष कॉल 2022 में उल्लिखित असहायित राज्यों के विश्वविद्यालय भी इस वर्तमान कॉल के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

प्रस्ताव तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए जाते हैं

सहायता की मात्रा और न्यूनतम पात्रता शर्तों को नीचे दी गई तीन श्रेणियों में रखा गया है। प्रत्येक मामले में व्यापक उद्देश्य संभावित रूप से उच्च प्रभाव, अंतरविषय अनुसंधान (बुनियादी और अप्लाइड दोनों) को सहायित करना है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और मिशनों से जुड़ा हुआ है। अनुसंधान को आत्मनिर्भर भारत और स्टार्ट-अप इंडिया आदि के लक्ष्यों के साथ भी अच्छी तरह से अनुकूलित करना चाहिए। जहां संभव हो, प्रस्तावित अनुसंधान को विनिर्माण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा और पानी और अन्य समान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षताओं में वृद्धि की दिशा में भी तैयार किया जाना चाहिए।

श्रेणी	**विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें**			**सहायता की अधिकतम राशि (करोड़ रुपए में)**
	एनआईआरएफ विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022	एच इंडेक्स (विज्ञान के वेब के अनुसार)	I 10	
क	शीर्ष 40	>100	>1000	30
ख	41- 100	>60	>500	20
ग	अपेक्षित नहीं	>30	>100	15

संवीक्षा मापदंड- स्क्रीनिंग प्रस्तावों के लिए, विश्वविद्यालय की एनआईआरएफ, एच-इंडेक्स और आई 10 जैसी न्यूनतम आवश्यक अपेक्षाओं पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावों का मूल्यांकन पेपर की संख्या, उनकी गुणवत्ता, पेटेंट और अनुसंधान परियोजनाओं और समग्र अनुसंधान योग्यता पर विचार करके किया जाएगा।

चयन मापदंड: प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय का चयन करने के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग के स्कोर के साथ उत्कृष्टता के पैरामीटर जैसे, I10 सूचकांकों के साथ एच इंडेक्स पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव का चयन अनुसंधान के महत्वपूर्ण

क्षेत्रों की प्रासंगिकता, सुविधाओं की आवश्यकता, उपलब्ध विशेषज्ञता आदि के आधार पर किया जाएगा। पीएमबी विश्वविद्यालय का चयन करने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान मेरिट पर विचार करेगा। चयन प्रक्रिया समकक्ष व्यक्ति से समिक्षित किया जाएगा। तंत्र के माध्यम से होगी और यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालयों का दौरा करेगी। कार्यक्रम प्रबंधन विशेषज्ञ बोर्ड अंतिम चयन करने में डीएसटी की सहायता करेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश

1. "डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल" के होम पेज तक पहुंचने के लिए onlinedst.gov.in लॉग ऑन करें।
2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले वे डीएसटी वेबसाइट (www.dst.gov.in) पर प्रकाशित प्रासंगिक विज्ञापन को ध्यान से देखें और पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ई-पीएमएस पोर्टल में प्रस्ताव प्रारूप भी देखें।
3. अपना समय बचाने और डेटा हानि से बचने के लिए कृपया प्रस्ताव प्रारूप डाउनलोड करें, एक वर्ड और पीडीएफ फाइल (अधिकतम आकार 5एमबी) के रूप में प्रारूप के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी भरें और फिर अनिवार्य दस्तावेजों को जमा करने के दौरान इसे अपलोड करने के लिए तैयार रखें।
4. उपरोक्त सभी विवरणों को भरने के बाद "पूर्वावलोकन" बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपने विवरण का पूर्वावलोकन करने का प्रावधान है। पूर्वावलोकन पृष्ठ उन सभी तथ्यों/विवरणों को प्रदर्शित करेगा जिनका आपने प्रवेश समय पर उल्लेख किया है। यदि आप भरे हुए विवरण के बारे में आश्वस्त हैं तो अंत में सर्वर में डेटा पुश करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन सावधानी से भरें और इसमें भरे गए विवरणों को स्वयं सत्यापित करें क्योंकि फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
7. विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में अधिकतम स्तर पर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभागों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रस्ताव भेजें।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी, 2023 (सोमवार) तक जमा किया जाना चाहिए, जिसके बाद वेब-लिंक किसी भी उपयोग के लिए स्वत: अक्षम हो जाएगा।

किसी भी पूछताछ के लिए संपर्क करें:
डॉ.प्रतिष्ठा पांडे
ईमेल आईडी: pratishtha.tp@nic.in

कृपया ध्यान दें

1 केवल **ऑनलाइन माध्यम** से ही प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2 विश्वविद्यालयों को आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसकी पूर्णता को देखना आवश्यक है। चूंकि एक ही विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन (3) संभावनाएं उपलब्ध हैं, इसलिए प्रस्तुत अंतिम प्रस्ताव पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति अपने संदर्भ के लिए रखेगा। डीएसटी में प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3 अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया आवेदन प्रारूप या आवश्यक जानकारी / दस्तावेजों की अपूर्णता वाला आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन और/या आवेदन से उत्पन्न दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल दिल्ली न्यायालयों/अधिकरणों/मंचों और दिल्ली न्यायालयों/अधिकरणों/मंचों में ही दर्ज की जा सकती है, जिनके पास किसी भी मामले/विवाद का विचारण करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

4 ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप के अलावा अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना कार्यक्रम मानदंडों के अनुसार किसी भी आगे की प्रक्रिया के बिना सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5 **ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अपलोड किए जाने वाले 5 अनिवार्य दस्तावेज:**

- विश्वविद्यालय की मान्यता के बारे में यूजीसी का पत्र
- विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव से पृष्ठांकन पत्र
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - हित संघर्ष नीति
- "पर्स "कार्यक्रम के लिए नियम और शर्तें
- पर्स का परियोजना कार्यान्वयन समूह) पीआईजी(
- सहायता पत्र
- पर्स परियोजना का संक्षिप्त सारांश) केवल दो पृष्ठों में(

कृपया ध्यान दें कि अधूरा प्रस्ताव/प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में नहीं होने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे मामलों में इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना प्रभाग)

"विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन" (पर्स) योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

भाग I: सामान्य जानकारी

1. क) विश्वविद्यालय का नाम और स्थापना का वर्ष
ख) टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि सहित पत्राचार का पता
ग) कुलपति का नाम पता और मोबाइल नं

2. वित्तीय स्थिति [सरकार (केंद्र या राज्य सरकार)/ सरकारी सहायता प्राप्त/निजी]
(समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

3 क) एमएचआरडी के अनुसार एनआईआरएफ (2022) में समग्र विश्वविद्यालय रैंकिंग (सहायक दस्तावेज संलग्न करें)
ख) विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स (विज्ञान वेब के अनुसार) और आई 10 इंडेक्स (पूरे विश्वविद्यालय के गूगल स्कॉलर के अनुसार केवल एसटीईएम क्षेत्रों के लिए शीर्ष 25 संकाय सदस्यों के विभाजन के साथ) (सहायक दस्तावेज संलग्न करें)
ग) कृपया आवेदन की श्रेणी विनिर्दिष्ट करें [ए, बी, सी]:

4 प्रत्येक विभाग का संक्षिप्त विवरण (केवल एसटीईएम विभाग)

विभाग/केंद्र का नाम	विभागाध्यक्ष का नाम	संकाय सदस्यों की संख्या					
		स्वीकृत			वर्तमान		
		प्रोफ़ेसर	सह प्रोफेसर	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रोफ़ेसर	सह प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर

पी-> प्रोफ़ेसर, एसो प्रोफ़ेसर > सह प्रोफेसर और सहायक प्रोफ़ेसर -> सहायक प्रोफ़ेसर

5. संकाय सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान, विज्ञान अकादमियों की फैलोशिप (एफएनए, एफएएससी, एफएनएई, एफएनएएससी, एफएनएएसएस, एफएनएएमएस, एफआईईईई, एफटीडब्ल्यूएएस), जे सी बोस फैलोशिप और एसएस भटनागर पुरस्कार जैसी अर्जित विशेष योग्यता ।

6. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में पीजी कार्यक्रमों का नाम

विभाग/केंद्र का नाम	कार्यक्रम कां प्रकार			
	एमएससी	एम फिल	एम टेक	पीएचडी

7. पिछले 5 वर्षों के दौरान विभाग-वार अनुसंधान परिणाम

N विभाग/केंद्र का नाम	अनुसंधान परिणाम के संदर्भ में		महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के नाम और उनके अधिप्रभाव कारक
	N केवल विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या	N पेटेंट की संख्या	

8. पिछले 5 वर्षों में वेब ऑफ साइंस के अनुसार शीर्ष तीस (30) महत्वपूर्ण प्रकाशनों और उनके नवीनतम अधिप्रभाव कारकों की सूची।

भाग II: विषयगत प्रस्ताव

9. प्रोवेन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ विश्वविद्यालय के 2-3 शोध परक सामर्थ्य क्षेत्रों की पहचान । (कृपया राष्ट्रीय मिशन के साथ अनुकूलित अनुसंधान कार्यक्रमों का उल्लेख करें)

9.1 विषयगत कार्यक्रम का मूल उत्पत्ति: (अधिकतम *1* पृष्ठ)
(इस काम को करने के लिए वैज्ञानिक तर्क का सविस्तार प्रतिपादन किया जाना चाहिए)

9.2 कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य (बुलेट्स में)

9.3 विषय में अनुसंधान और विकास की स्थिति की समीक्षा

9.3.1 अंतर्राष्ट्रीय स्थिति**:(**अधिकतम: *2* पृष्ठ*)*

*(*दुनिया भर में इस क्षेत्र में काम कर रहे शोधकर्ताओं और उनके योगदान की ओर हाल के संदर्भों और समीक्षाओं के साथ ठीक से ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शोध स्थिति का सही और अद्यतन विवरण देने का प्रयास किया जाना चाहिए)

9.3.2 राष्ट्रीय स्थिति**:(**अधिकतम **1** पृष्ठ **)**

*(*परियोजना क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को कवर करने के लिए उपरोक्त से अभिन्न)

9.3.3 वर्तमान स्थिति के संदर्भ में प्रस्तावित गतिविधि का महत्व (अधिकतम ***1*** पृष्ठ)

(इस पर ध्यान दिलाएं कि वह नया क्षेत्र या प्रगति क्या है जो पर्स में पहले से ही ज्ञात के संबंध में लक्षित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है**,** नवीनता घटक और इसके महत्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

9.4 कार्य योजना

9.4.1 कार्य-प्रणाली :(अधिकतम *3* पृष्ठ)

(इसमें सभी विवरण शामिल होने चाहिए कि प्रत्येक उद्देश्य पर कैसे ध्यान दिया किया जाएगा। यह खंड विस्तृत होना चाहिए और इसमें स्पष्ट योजनाएँ होनी चाहिए, न कि अस्पष्ट और सामान्यीकृत विवरण। प्रस्तावित कार्य के लिए विश्वविद्यालय की सामर्थ्य को अब तक किए गए संबंधित कार्य को प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए। इसमें प्रासंगिक विवरण शामिल होना चाहिए यानी, टेबल, आंकड़े, समीकरण इत्यादि। साथ ही यह औचित्य भी दिया जाना चाहिए कि क्यों परियोजना गत अनुसंधान योजना सफल हो सकती है।

9.4.2 बार आरेख से उपलब्धियों को दर्शाते हुए तीन माह के समयांतराल में क्रियाकलापों की समय-सारणी । (अधिकतम 1 पृष्ठ)

9.4.3 पर्स से प्रत्याशित अनुसंधान परिणाम के उपयोग के लिए सुझाई गई कार्य योजना। (अधिकतम ½ पृष्ठ)

9.4.4. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण (अधिकतम ½ पृष्ठ)

10. **डीएसटी के अन्य कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईडीबी) की स्टार्टअप योजना, एसईआरबी की त्वरित विज्ञान योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक गतिविधि के साथ पर्स में विषयगत कार्यक्रम की योजना।**

11 सामाजिक वैज्ञानिक जिम्मेदारी (एसएसआर) को लागू करने की योजनाएं।

12. पिछले 5 वर्षों (2017-2021) के दौरान विभाग-वार प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

विभाग/केंद्र का नाम	प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	राशि (रुपये लाख में) और अवधि	प्रायोजित एजेंसी का नाम

13. **पिछले दो वर्षों (**2020-2021**) में विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों को प्रस्तुत परियोजनाओं का विवरण**

क्रम. सं	नाम	लाखों में लागत	प्रस्तुत करने का महीना	एजेंसी	स्थिति

14. फिस्ट (वर्ष, स्वीकृत लागत) और पिछले 5 वर्षों में किसी भी एजेंसी से 10 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य प्रमुख वित्त पोषण का विवरण।

15 विश्वविद्यालय में 25 लाख रुपये और उससे अधिक लागत वाले उपकरणों की एक सूची दीजिए, जो उपलब्ध हैं और कार्यात्मक हैं।

विभाग	उपकरण का नाम	प्रापण का वर्ष	स्थिति

16. केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन केंद्रों जैसे आरएसआईसी, यूएसआईसी आदि में सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो,

17 विभिन्न उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटरों आदि द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के समग्र विकास और उपयोग को संवेदनशील बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रवृत्ति और कार्य।

18 पर्स स्कीम के अंतर्गत मांगी गई निधियों का विवरण

क. गैर-आवर्ती मदें **(पूंजी) कुल बजट का 70%**

i) अनुसंधान सुविधा का नाम अनुमानित लागत (रुपये लाख में)

1.

2.

3.

ख. आवर्ती मदें (सामान्य) कुल बजट का 30%

i) जनशक्ति लागत (12%) - (डीएसटी - के नवीनतम ओएम एसआर/एस9/जेड-05/2019, दिनांक 10 जुलाई 202 के अनुसार पदनाम/परिलब्धियां जेआरएफ, एसआरएफ और आरए आदि)
ii) उपभोाज्य वस्तुएं (8%)
iii) संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन (2%)
iv) यात्रा (1%)
v) सुविधाओं का रखरखाव (2%)
vi) एसएसआर गतिविधियां (1%)
vii) स्टार्ट-अप और औद्योगिक सहयोग की सहायता (2%)
viii) ओवर हेड शुल्क (2%)

19 उपयुक्त अवसंरचना की उपलब्धता, जैसे बिजली, पानी, स्वच्छता, इंटरनेट कनेक्शन आदि जैसी उपयोगिता की निर्बाध आपूर्ति और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अभ्यागत राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं की मेजबानी के लिए अतिथि गृह की उपलब्धता, यदि कोई हो,

20 अनुमानित लागत के साथ डीएसटी-पर्स सहायता के तहत प्रापण किए जाने वाले उपकरणों की सूची। (किसी भी उपकरण की दर सूची संलग्न न की जाएं)।

21 पर्स को निष्पादित करने में विश्वविद्यालय में उपलब्ध विशेषज्ञता (अधिकतम 1 पृष्ठ)

22 परियोजना के, यदि वह सहायित हो अंत में परिकल्पित सामाजिक लाभ।

23 प्रत्येक मद के लिए पूर्ण औचित्य के साथ, प्रत्येक बजट प्रमुख का विवरण ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य और सही है।

पर्स समन्वयक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

<u>नोट: भवन, घरेलू निर्माण और संबंधित गतिविधियों को इस सहायता के तहत कवर नहीं किया जाएगा</u>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता (पर्स) अनुदान संवर्धन हेतु लिए नियम और शर्तें

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की "विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रचार" (पर्स) योजना, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के लिए सहायता प्रदान करने और देश के विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पर्स कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों के चयन के लिए विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों के आई10 सूचकांक, एच सूचकांक और एमएचआरडी की एनआईआरएफ रैंकिंग के संयोजन को अपनाया गया है। यह योजना अनुसंधान सुविधाएं प्राप्त करने, अनुसंधान मानव-शक्ति लागत, अनुसंधान उपभोज्य सामग्रियों को प्राप्त करने, यात्रा के लिए धन, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन, आकस्मिकताओं और सुविधाओं के रखरखाव के लिए सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत, विश्वविद्यालयों को स्पष्ट रूप से उद्देश्यों के साथ एक निपुण टीम के अंतर-विषयक थिमैटिक प्रयास में उत्कृष्टता के अपने क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास सहायता के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुसंधान की तालमेल और फोकस को अधिमानतः राष्ट्रीय मिशनों/प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जा सकता है

इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए पर्स के नियम और शर्तों को पुनः संरूपित किया गया है

नियम और शर्तें

1. इस योजना के तहत जारी किया जा रहा अनुदान विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए है और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से खर्च किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए "परियोजना कार्यान्वयन समूह" का गठन करेगा और निधियों आदि को जारी करने से पहले तदनुसार डीएसटी को सूचित करेगा। परियोजना कार्यान्वयन समूह अपनी 4 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं के लिए डीएसटी के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होगा।
2. प्रत्येक विश्वविद्यालयी सहायता में पूंजी घटकों के तहत वर्गीकृत निम्नलिखित घटक होंगे
    - **उपकरण [70%]**
3. प्रत्येक विश्वविद्यालयी सहायता में सामान्य घटकों के तहत वर्गीकृत निम्नलिखित घटक होंगे:
    - **उपभोज्य सामग्री [8%]**
    - **श्रमशक्ति [12%,]**
    - **संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन [2%]**
    - **यात्रा [1%]**
    - **सुविधाओं का रखरखाव [2%]**
    - **एसएसआर गतिविधियाँ [1%]**
    - **स्टार्ट-अप और औद्योगिक सहयोग [2%]**
    - **अतिरिक्त / ओवर हेड शुल्क [2%]**
4. यह योजना भवन/निर्माण और स्थायी प्रकृति में कर्मचारियों की भर्ती आदि के लिए किसी प्रावधान की अनुमति नहीं देती है। पर्स के तहत भर्ती की गई जनशक्ति परियोजना की अवधि के साथ समाप्त होगी। जनशक्ति की भर्ती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी मंजूरी आदेश के अनुसार कड़ाई से की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश के अनुसार जनशक्ति केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति की होनी चाहिए।
5. उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान उपकरणों के प्रकार और इसके विनिर्देशों / विन्यास / अन्य बजट शीर्षों को बदलना संभव नहीं होगा।
6. उपभोज्य सामग्रियों के लिए धन इस परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशुद्ध रूप से अनुसंधान उपभोज्य सामग्री होनी चाहिए। एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ग्रोसरी, गैजेट्स, जनरेटर आदि जैसे शिक्षण सहायक उपकरण पर्स सहायता के दायरे से बाहर हैं।
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित बजट शीर्षों से कोई विचलन नहीं होना चाहिए। यदि यह बहुत आवश्यक है, तो विचार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध किया जा सकता है।
8. सभी गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थानों (निजी विश्वविद्यालयों) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सहायता 75:25 के अनुपात में साझा की जाएगी, अर्थात डीएसटी का हिस्सा 75% होगा और गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थान के प्रबंधन को परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 25% वहन करना होगा। सभी यूजीसी मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का हिस्सा परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 100% होगा।
9. अनुशंसित बजट शीर्षों में से किसी के प्रति अधिक व्यय/मूल्य वृद्धि विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम बजट परिव्यय के साथ वहन की जाएगी।
10. अनुदान से अर्जित सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार की संपत्ति होंगी और विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना, परियोजना के उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए निपटान या भारग्रस्त या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।
11. अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है। सरकारी अनुदानों से पूरी तरह से या काफी हद तक अर्जित परिसंपत्तियां (जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अप्रचलित और अप्रयुक्त या अनुप्रयोगी घोषित की गई संपत्तियों को छोड़कर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना निपटाया नहीं जाएगा। सभी प्रापण जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।
12. पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, पर्स ग्रांट से प्राप्त सुविधाओं को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं

के मानचित्र यानी आईएसटीईएम पोर्टल) https://www.istem.gov.in) में मैप किया जाना चाहिए, और वैज्ञानिक समुदाय और उद्योग के लिए सुलभ होना चाहिए। आईएसटीईएम पोर्टल में अनुसंधान सुविधाओं का मैपिंग करने के बाद डीएसटी को सूचित किया जाना चाहिए।

13. नेटवर्किंग के तहत सर्वर, डेस्कटॉप, वर्कस्टेशन, प्रिंटर आदि जैम (सरकारी ई-मार्केट) प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।
14. डीएसटी पर्स के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय विशेष रूप से पर्स कार्यक्रम के उचित कामकाज के लिए वेल विशर समिति (आंतरिक कार्यान्वयन और प्रगति समीक्षा के लिए) का गठन करने के लिए सहायित है। इस समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारी, पर्स समन्वयक, डीएसटी प्रतिनिधि, भाग लेने वाले विभागों के संकाय सदस्य, डीन, पास के एमएसएमई से कम से कम एक बाहरी सदस्य और आस-पास के अनुसंधान संगठन / प्रयोगशाला / संस्थानों से कम से कम एक संकाय सदस्य शामिल हैं। कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड (पीएमबी) से दो सदस्य होंगे। समिति के गठन को डीएसटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
15. विश्वविद्यालयों को बाहरी संकायों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, आस-पास के कॉलेजों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप और उद्योगों के छात्रों की मांगों के लिए पर्स सुविधाओं की सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे पर्स सहयोगी अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।
16. धनराशि की पार्किंग, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण लागत में वृद्धि से बचने के लिए जल्द से जल्द उपकरण और अन्य वस्तुओं के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और अनुदान प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। बाद के वित्तीय वर्षों में अप्रयुक्त अनुदानों को आगे ले जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे और तीसरे वर्ष में अनुदान केवल परीक्षित खातों/प्रगति रिपोर्ट के आधार पर यूसीएस की प्राप्ति पर जारी किए जाएंगे। अव्ययित अनुदानों के अधिक संचय के मामले में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को विश्वविद्यालय से परियोजना को वापस लेने का अधिकार होगा।
17. विश्वविद्यालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद एक महीने के भीतर अनुदान (प्रगति रिपोर्ट के साथ) से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षित विवरण (डीएसटी प्रारूप में) प्रस्तुत करेगा।
18. विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान प्राप्त करने के बाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उपयुक्त तंत्र के साथ वार्षिक आधार पर अनुदान के उपयोग सहित तकनीकी और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगा। यदि यह विश्वास हो जाता है कि अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया गया है या उचित प्रगति नहीं की जा रही है तो विभाग को किसी भी स्तर पर सहायता को समाप्त करने का अधिकार है
19. इस अनुदान में से पूरी तरह या मुख्य रूप से अर्जित स्थायी/ अर्द्धस्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में रखा जाना चाहिए और इसकी एक प्रति इस विभाग को दी जानी चाहिए। परिसंपत्तियों और रखे गए खातों का ऐसा रजिस्टर लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए उपलब्ध या अभिगम्य होगा।
20. विश्वविद्यालयों को पीएफएमएस पोर्टल में सृजित यूसी आईडी के साथ इस प्रभाग को भौतिक रूप में भेजने के अलावा उपयोग प्रमाणपत्र को पीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करना और अपलोड करना होगा। परवर्ती /अंतिम किस्त डिवीजन द्वारा यूसी की स्वीकृति और पीएफएमएस में पिछले उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रवेश की पुष्टि के बाद ही जारी की जाएगी।
21. अनुदान प्राप्तिकर्ता संगठन 1 अप्रैल, 2022 से अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 1 (18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 दिनांक 9 मार्च, 2022 के माध्यम से केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया अपनाने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के निर्देशों का पालन करेगा। व्यय विभाग द्वारा उल्लिखित निधियों के प्रवाह की व्यय विभाग द्वारा उल्लिखित उक्त प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 27 मई 2022 के ओएम सं एमएसटी/पीएओ/टीएसए/मॉडल 1 और 2/2022-23/22 के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) की पहचान करके डीएसटी अम्ब्रेला स्कीम, 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण [1817]' के लिए धन के प्रवाह का निर्देश दिया है। इस संबंध में, निधियों के प्रवाह के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सभी अनुदानदाता संगठनों द्वारा शून्य-शेष सहायक एसबी खाता खोला जाना अपेक्षित है। अपने संगठन को सीएनए प्रणाली के साथ अनुकूलित करने के लिए बैंक खाता का वचनबंध और विवरण अनुदान जारी करने के लिए प्रस्तुत करना होगा।
22. अनुदान प्राप्तिकर्ता संगठन सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 161 (iv) के तहत 200 करोड़ रुपये तक वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) के बारे में निर्देशों का पालन करेगा। डीओई ने दिनांक 03.08.2021 के अपने ओएम नंबर एफ.4/1/2021-पीपीडी के माध्यम से यह जानकारी दी है।
23. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पर्स अनुदान से प्राप्त तकनीकी सहायता/वित्तीय सहायता की विधिवत स्वीकृति अनुदानग्राही संगठन द्वारा सभी प्रकाशनों/थीसिस/पेटेंट/प्रोटोटाइप, मीडिया विज्ञप्तियों के साथ-साथ परियोजना के पूरा होने के दौरान और बाद में उनकी वार्षिक रिपोर्टों के शुरुआती पैराग्राफ में मोटे अक्षरों में अनिवार्य रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।
24. प्रमुख सुविधाओं के उद्घाटन, अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वार्ताओं या वेबिनारों या पर्स के तत्वावधान में आयोजित किसी भी कार्यक्रम को डीएसटी को पहले से सूचित किया जाना चाहिए।
25. विश्वविद्यालय को सुविधा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर डीएसटी द्वारा दी गई सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करनी चाहिए।
26. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अपने विवेकानुसार इस सहायता के बही खातों तक पहुंच का अधिकार होगा। <u>प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय और उपयोग प्रमाण पत्र का विवरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।</u>
27. यदि उपस्करों की खरीद के लिए एक ही परियोजना के अंतर्गत अलग-अलग स्वीकृति आदेशों के माध्यम से पूंजीगत शीर्ष/सामान्य के अंतर्गत अनुदान जारी किया गया है, तो जारी पूंजीगत मद/सामान्य अनुदान के लिए पृथक एसई/यूसी प्रस्तुत किया जाना है।
28. योजना के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के लिए जीएफआर 2017 के नियम 231 (2) के अनुसार ब्याज के साथ पूर्ण धनवापसी होगी।
29. पर्स के तहत प्राप्त अनुसंधान सुविधाओं को डीएसटी-पर्स के साथ उपयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चिन्हित विश्वविद्यालय पर ध्यान देने के लिए उस "डीएसटी-पर्स सहायित विश्वविद्यालय" कहा जा सकता है। यह उपयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

द्वारा हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

पर्स समन्वयक

विश्वविद्यालय के कुलपति

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी

पर्स परियोजना कार्यान्वयन समूह

परियोजना कार्यान्वयन समूह (पीआईजी) का गठन निम्नलिखित संकाय सदस्यों के साथ किया जाता है जो मेजबान संस्थान / संगठन में डीएसटी पर्स परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। (पर्स समन्वयक के पास कम से कम 5 वर्ष की शेष सेवा अवधि होनी चाहिए)

	पर्स समन्वयक का विवरण	**नाम** **पद** **संबद्धता** **फोन, मोबाइल नंबर और** **ईमेल आईडी**
	पर्स उप समन्वयक का विवरण	**नाम** **पद** **संबद्धता** **फोन, मोबाइल नंबर और** **ईमेल आईडी**
	पीआईजी में अन्य सदस्यों का विवरण **पद** **संबद्धता** **फोन, मोबाइल नंबर और** **ईमेल आईडी**	1. 2. 3. 4. **आदि,**

विश्वविद्यालय/संस्थान की मुहर .....

कुलपति / संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार या वित्त प्रमुख

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
हित संघर्ष नीति

डीएसटी की योजना / कार्यक्रम से सम्बद्ध/ संबंधित समीक्षक और समिति सदस्य अथवा आवेदक अथवा डीएसटी अधिकारीगणों हेतु

देश के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य में सरकारी वित्तपोषण के बड़े हिस्से को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में हित और नैतिकता संघर्ष के मामलों ने अधिक वैशिष्ट्य प्राप्त किया है। हित संघर्ष और नीति संहिता के सामान्य पहलुओं संबंधी निम्नलिखित नीति, उद्देश्यपूर्ण उपाय है जिसका उद्देश्य निर्णयन प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना और पूर्वाग्रह को कम करना है। नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, वित्त पोषण कार्यतंत्र में जवाबदेही बढ़ाना और आम जनता को आश्वासन प्रदान करना है कि अनुदान देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण हैं। इस नीति का उद्देश्य ऐसी प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचना है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और कार्यक्रम के प्रचलन से पूर्व, उसके दौरान और बाद में सभी प्रभावों/पूर्वाग्रहरहित लेन-देन से मुक्त हो ताकि जनता रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण से दूर रह सके और उन्हें आश्वासन दिया जा सके कि उनके प्रतिभागी भी रिश्वत देने और अन्य भ्रष्ट अभ्यास प्रक्रिया से परहेज करेंगे और अन्य निर्णयकर्ता पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। यह डीएसटी द्वारा अपनाई गई निर्णयन प्रक्रिया की वैश्विक स्वीकृति भी सुनिश्चित करेगा।

<u>हित संघर्ष की परिभाषा</u>:

हित संघर्ष का अर्थ है "कोई भी हित जो निर्णयन प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की निष्पक्षता को काफी हद तक पूर्वगृहीत कर सकता है, जिससे व्यक्ति या उस संगठन को अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ हो सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है"। हित संघर्ष में ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं जहां एक व्यक्ति, स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अनिवार्य कर्तव्यों से फायदा उठा सकता है।

1. <u>नीति का प्रसार</u>:

क) नीतिगत प्रावधानों का पालन डीएसटी में आवेदनकर्ता और उससे निधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, प्रस्ताव समीक्षकों और विशेषज्ञ समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। नीति के प्रावधान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रस्तावों के मूल्यांकन और तदुपरांत निर्णयन प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थों और समितियों के माध्यम से जुड़े डीएसटी के अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

ख) इस नीति का उद्देश्य उन तत्वों को कम करना है जो वर्तमान में डीएसटी द्वारा संचालित निधियन तंत्र में वास्तविक हित संघर्ष, हितों के स्पष्ट संघर्ष और संभावित हित संघर्ष को तय कर सकते हैं। नीति का उद्देश्य ऐसे हित संघर्षों को समाहित करना इसी तक असीमित भी है, जो वित्तीय (प्रस्ताव या पुरस्कार के परिणामों से लाभ), व्यक्तिगत (रिश्तेदार/ परिवार के सदस्यों का संघ) और संस्थागत (सहकर्मी, सहयोगी, नियोक्ता, पीएचडी पर्यवेक्षक आदि जैसे किसी व्यक्ति के पेशेवर कैरियर से जुड़े व्यक्ति) हैं।

2. <u>हित संघर्ष संबंधी विनिर्देश</u>

निम्नलिखित विनिर्देशों में से कोई भी (गैर-संपूर्ण सूची) हित संघर्ष को दर्शाता है यदि,

(i) किसी भी कारण से जिसके द्वारा समीक्षक/समिति के सदस्य प्रस्ताव का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष रिश्तेदार # या परिजन (पति या पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता सहित) है या निर्णयन प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का व्यक्तिगत मित्र अथवा विकल्पतः, यदि किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार ने किसी भी निर्णयन प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः भाग लिया है / आवेदक के फॉर्म आदि में रुचि / हिस्सेदारी को प्रभावित किया है।

(iii) अनुदान/ पुरस्कार हेतु आवेदक समीक्षक या समिति के सदस्य के रूप में प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का कर्मचारी या नियोक्ता है; अथवा यदि अनुदान / पुरस्कार के लिए आवेदक का उस व्यक्ति से गत तीन वर्षों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रहा है।

(iv) अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक उसी विभाग से संबंधित है जो समीक्षक/समिति के सदस्य का है।

(v) समीक्षक/समिति का सदस्य ऐसे संगठन का प्रमुख है जहाँ आवेदक कार्यरत है।

(vi) समीक्षक / समिति के सदस्य आवेदक के पेशेवर कैरियर (जैसे पीएचडी पर्यवेक्षक, संरक्षक, वर्तमान सहयोगी आदि) से जुड़े हैं या थे।

(vii) समीक्षक/समिति के सदस्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने में शामिल हों।

(viii) आवेदक ने गत तीन वर्षों में समीक्षक / समिति के सदस्य के साथ संयुक्त अनुसंधान प्रकाशन किए हैं।

(ix) आवेदक/समीक्षक/समिति सदस्य, वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनाए गए स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव के परिणामों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तीय हित रखते हैं।

(x) यदि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है तो समीक्षक / समिति के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा।

इस उद्देश्य के लिए "सापेक्ष" शब्द को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 से संदर्भित किया जाएगा।

3. <u>विनियमन:</u>

डीएसटी अपने निधियन कार्यतंत्र में हित संघर्ष से यथासंभव बचने का प्रयास करेगा। तथापि, हित संघर्ष और वैज्ञानिक नैतिकता संबंधी मामलों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में शामिल हितधारकों हेतु स्व-विनियामक मोड की सिफारिश की जाती है। इससे संबंधित कोई भी प्रकटीकरण आवेदक / समीक्षक / समिति के सदस्य द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।

4. <u>गोपनीयता:</u>

समीक्षक और समिति सदस्य प्रक्रिया के दौरान की गई सभी चर्चाओं और निर्णयों की गोपनीयता के संरक्षित करेंगे और जब तक कि समिति अन्यथा सिफारिश न करे और ऐसा करने के लिए अभिलेखबद्ध न हो तब तक किसी भी आवेदक या तीसरे पक्ष के साथ चर्चा करने से बचेंगे।

5. <u>आचार संहिता</u>

5.1 समीक्षकों/समिति सदस्यों द्वारा अनुसरणीय:

(क) सभी समीक्षकों को हित संघर्ष के किसी भी प्रकार में उपस्थिति या अनुपस्थिति की घोषणा करते हुए हित संघर्ष का विवरण देना होगा।
(ख) यदि हित संघर्ष तय है या यदि यह स्पष्ट है तो समीक्षक प्रस्तावों का मूल्यांकन करने से बचेंगे।
(ग) हित संघर्ष से संबंधित सभी चर्चाओं और निर्णयों को बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।
(घ) समिति के अध्यक्ष हित संघर्ष से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेगा।
(ड) समिति के अध्यक्ष यह अनुरोध करेंगे कि सभी सदस्य इस बात का खुलासा करें कि क्या चर्चा के लिए निर्धारित कार्यसूची के विषयों से उनका कोई हित संघर्ष है।
(च) जहां हित संघर्ष स्थापित होता है या स्पष्ट होता है, तो समिति के सदस्य निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने से बचेंगे और उस विशिष्ट मद के संबंध में कमरा छोड़ देंगे।
(छ) यदि अध्यक्ष स्वयं हित संघर्ष रखता है, तो समिति शेष सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुन सकती है, और निर्णय समिति के सदस्य सचिव के परामर्श से किया जाएगा।
(ज) यह अपेक्षा की जाती है कि अध्यक्ष सहित समिति का सदस्य ऐसी समिति से निधियन की मांग नहीं करेगा जिसमें वह सदस्य है। यदि कोई सदस्य अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन उस समिति के बाहर अलग से किया जाएगा जिसमें वह सदस्य है।

5.2 <u>अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक द्वारा अनुसरणीय:</u>

(क) आवेदक को संभावित हित संघर्ष वाले रेफरी, जो बिंदु संख्या 2 में ऊपर वर्णित विनिर्देशों में उल्लिखित कारकों के कारण उत्पन्न हो सकता है, का सुझाव देने से बचना चाहिए।
(ख) आवेदक स्पष्टतः कारण इंगित करते हुए उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर सकता है जिन्हें प्रस्तुत प्रस्ताव रेफरी के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

5.3 <u>डीएसटी में कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुसरणीय:</u>

यद्यपि कार्यक्रम अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में विस्तारित गोपनीयता बनाए रखें, उन्हें अग्रिम रूप से घोषणा करनी चाहिए, यदि वे किसी रिश्तेदार या परिजन (पति या पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता सहित) या थीसिस / पोस्ट-डॉक्टरेट संरक्षक के अनुदान आवेदनों पर कार्य कर रहे हैं अथवा आवेदक के प्रस्ताव के निधियन पर वित्तीय रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। ऐसे मामलों में, डीएसटी अन्य कार्यक्रम अधिकारी को अनुदान आवेदन आवंटित करेगा।

6. उल्लंघन हेतु स्वीकृति

3.1 <u>क) समीक्षक/समिति सदस्यों और ख) आवेदक हेतु</u>

आचार संहिता के किसी भी प्रकार से उल्लंघन पर समिति के निर्णयानुसार कार्रवाई की जाएगी।

3.2 <u>डीएसटी में कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों हेतु</u>

आचार संहिता के किसी भी रूप में उल्लंघन पर सीसीएस (आचरण नियम), 1964 के वर्तमान प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

7. <u>अंतिम अपीलीय प्राधिकारी:</u>

सचिव, डीएसटी हित संघर्ष और निर्णयन प्रक्रिया संबंधी मामलों में अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इन मामलों पर सचिव, डीएसटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. <u>उद्घोषणा</u>

मैंने समीक्षक/समिति सदस्य/आवेदक/डीएसटी योजना या कार्यक्रम अधिकारी पर प्रयोज्य डीएसटी की उपरोक्त "हित संघर्ष नीति" पढ़ ली है और मैं इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित अनुदान के किसी भी रूप से मेरा हित संघर्ष नहीं है *
मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि प्रस्तावित अनुदान के किसी रूप से मेरा हित संघर्ष है *

* और # (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

<u>समिति सदस्य अथवा आवेदक अथवा डीएसटी अधिकारी का नाम</u>
(जो लागू न हो उसे काट दें)

(तिथि सहित हस्ताक्षर)

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/ विश्वविद्यालय के कुलपति का पुष्टीकरण पत्र
(लेटर हेड पर सही विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

I. संस्थान प्रमुख/ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़े./डॉ. ..... द्वारा नामित विभाग/विद्यालय/केंद्र..... के डीन/प्रमुख/समन्वयक डॉ....., विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पर्स कार्यक्रम में प्रस्तावित इस परियोजना को लागू करने का पूर्ण दायित्व संभालेंगे।

II. परियोजना प्रारंभन तिथि वह तिथि होगी जिस दिन विश्वविद्यालय/संस्थान को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से बैंक ड्राफ्ट/चेक/आरटीजीएस प्राप्त होता है। यह डीएसटी के पर्स कार्यक्रम से संबंधित "नियम और शर्तें" दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के बाद ही होगा।

III. प्रधान या समन्वयक, विश्वविद्यालय/ संस्थान के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा और पर्स परियोजना की अवधि हेतु विश्वविद्यालय / संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा तथा पर्स कार्यक्रम के "नियम और शर्त" दस्तावेजानुसार भी होगा।

IV. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता अनुदान का उपयोग पर्स परियोजना पर व्यय को पूरा करने हेतु और जिस अवधि के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है, जैसा कि मंजूरी पत्र/आदेश में दर्शाया गया है, किया जाएगा।

V. विश्वविद्यालय/संस्थान संविदा आधार पर पर्स के तहत मानवशक्ति की भर्ती करेगा जो परियोजना अवधि के साथ समाप्त होगी। विश्वविद्यालय नियमित आधार पर पर्स के तहत मानवशक्ति की प्रगति की समीक्षा करेगा।

VI. पर्स परियोजना के अंत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ कोई प्रशासनिक या अन्य दायित्व नहीं जोड़ा जाएगा।

VII. विश्वविद्यालय/ संस्थान पर्स परियोजना को लागू करने हेतु अवसंरचना और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

VIII. विश्वविद्यालय/संस्थान इस स्वीकृति के तहत प्राप्त सभी परिसंपत्तियों को अपने बही-खातों में दर्ज करेंगे और इसका निपटान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विवेक पर होगा।

IX. संस्थान पर्स परियोजना के वित्तीय और अन्य प्रबंधन दायित्वों को पूरा करने का निर्णय लेता है। मेजबान संस्थान / विश्वविद्यालय निधियन के तरीके से पूरी तरह से अवगत है। सभी गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थानों (निजी विश्वविद्यालयों) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सहायता 75:25 के अनुपात में साझा की जाएगी, अर्थात डीएसटी का हिस्सा 75% होगा और गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थान के प्रबंधन को परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 25% वहन करने की आवश्यकता होगी। सभी यूजीसी मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों के लिए डीएसटी का भाग परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 100% होगा

X. योजना के तहत अपेक्षित परीक्षित लेखा विवरण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और अन्य रिपोर्ट और दस्तावेज, विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

XI. आयोजक संस्थान, पर्स परियोजना की निगरानी/समीक्षा में जब भी उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, भाग लेगा।

विश्वविद्यालय/संस्थान की मुहर

कुलपति/ संस्थान/आर एंड डी केंद्र प्रमुख के हस्ताक्षर

पंजीयक अथवा वित्त प्रमुख

---

* न्यास/बोर्ड/प्रबंधन के अध्यक्ष